

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2018/99
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2018/00090
CICOM/R/2018/00132

दिनांक: 12.04.2018

अपीलकर्ता : श्री ज्ञानेश कुमार चौधरी,
ग्रा0 व पो0 - खंगुराडीह, थाना - कतरा,
जिला - मुजफ्फरपुर, बिहार - 843321.
मो0 -9204679693.

निर्णय की तारीख : 12.04.2018

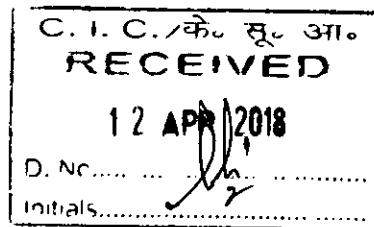
आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	23.01.2018
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	28.02.2018
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री के. एल. दास
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	02.04.2018
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	141/07.04.2018 (121109/03.04.2018)

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 23.01.2018 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से आयोग के आदेश सं. CIC/SA/C/2015/901116 से संबंधित सूचनाएं मांगी गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री के. एल. दास, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं उप-पंजीयक, सूचना आयुक्त - बी.जे. कार्यालय द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध प्रथम अपील दाखिल की गई है।

2. संबंधित संचिका एवं प्रथम अपील का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के दिनांक 23.01.2018 के आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में श्री के. एल. दास, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं उप-पंजीयक, सूचना आयुक्त-बी.जे. कार्यालय द्वारा दिनांक 28.02.2018 को अपीलकर्ता को सूचित किया गया है कि "File has been called for from the Record Room. Information called for will be supplied to your on receipt of the relevant file."। इस संदर्भ में श्री के. एल. दास, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं उप-पंजीयक, सूचना आयुक्त-बी.जे. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि यदि संबंधित फाइल रिकार्ड रूम से प्राप्त हो गई हो तो अपीलकर्ता को वांछित सूचना इस आदेश की प्राप्ति के दस दिनों के अंदर उपलब्ध करवाई जाए और यदि रिकार्ड में से फाइल प्राप्त नहीं हुई है तो रिकार्ड रूम प्रभारी से लिखित रूप में पुनः फाइल उपलब्ध करवाने का अनुरोध करें एवं अपीलकर्ता को यथाशीघ्र सूचना उपलब्ध करवाएं।

3. तदुसार अपील निस्तारित की जाती है।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।



12/04/18

(आर. के. सिंह)

अपर सचिव एवं

प्रथम अपीलीय अधिकारी

दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

श्री के. एल. दास, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं उप-पंजीयक, सूचना आयुक्त-बी.जे. कार्यालय, के.सू.आ., नई दिल्ली।

12/04/18
12/04/18
DEO-1465